

# कार्यालय, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची

पत्रांक -...2234..

दिनांक - 05-7-17

## नवीकरण

तकनीकी विशेषज्ञ निबंधन/अनुज्ञप्ति प्रमाण - पत्र

निबंधन/अनुज्ञप्ति संख्या - ER0022/2013RRDA



प्रमाणित किया जाता है कि श्री सनोज कुमार सिन्हा, पिता/पति- स्व0 रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, पता - न्यू आनन्दपुरी कॉलोनी, खिजरी, नामकुम, राँची - 10 उनसे प्राप्त आवेदन पर समीक्षोपरान्त निदेशानुसार वर्ष ..... से 2017 (दिनांक - 01-01-2017 से 31.12.1017 तक की अवधि) के लिए राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची के नियंत्रणाधीन क्षेत्र में भवन नक्शा तैयार करने एवं स्वीकृति के लिए जाँचोपरान्त अग्रसारित करने हेतु अभियंता के रूप में निबंधित करते हुए अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाता है। उक्त अनुज्ञप्ति हेतु नवीकरण शुल्क के रूप में कुल ₹ 1000/- (एक हजार) रुपये मात्र नगद या बैंक ड्राफ्ट नं0-.....दिनांक - .....बैंक/शाखा का नाम.....के माध्यम से प्राधिकार के माध्यम से प्राधिकार रसीद संख्या - 52880 दिनांक - 28.12.2016 के द्वारा राशि प्राधिकार को प्राप्त है। उक्त नवीकरण अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्ति के पूर्व ही (दिनांक - ..... से 31.12.2017 तक) नवीकरण हेतु ₹ 1000/- (एक हजार) रुपये मात्र नगद/बैंक ड्राफ्ट के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन प्राधिकार में जमा करना अनुज्ञप्तिधारक के लिए अनिवार्य है। अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्ति के पूर्व पुनः नवीकरण हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन जमा नहीं करने पर नवीकरण अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बाद में नवीकरण का आवेदन प्राप्त नहीं किया जायेगा तथा फिर से नये सिरे से निबंधन कराना होगा। इसके लिए अनुज्ञप्तिधारक स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा भविष्य में इनके विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

Sanoj Kumar

तकनीकी विशेषज्ञ का पूर्ण हस्ताक्षर

नगर निवेशक,  
राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार,  
राँची।